सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 247 / सो.आ.नि.–318(1) / 2014
दिनाँकः 28 जुलाई, 2014

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में कराए गए कार्यों का सोशल आडिट किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 1496 / अड़तीस–7–2014–200नरेगा / 2009 दिनांक 21–7–2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के क्रम में अनेक DSAC/BSACs द्वारा अपनी सेवाओं की प्रास्थिति के बारे में जानकारी चाही गई है। इस सम्बन्ध में आपका ध्यान संदर्भगत शासनादेश दिनांक 21–7–2014 के प्रस्तर 3(10) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो निम्नवत् है :–

> ''वर्तमान में जनपद / ब्लाक स्तर पर संविदा के आधार पर नियुक्त जिला / ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों की सेवाएं, यदि शासन के संगत निर्देशों के अनुपालन में पहले ही समाप्त न कर दी गयी हों, उक्त पुनरीक्षित व्यवस्था के अनुसार जिला / ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर के द्वारा योगदान किए जाने के साथ ही समाप्त हो जायेंगी।''

2– उक्त अंश से स्पष्ट है कि जब तक पुनरीक्षित व्यवस्था के अर्न्तगत चयनोपरान्त DSAC/BSACs द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता तब तक वर्तमान DSAC/BSACs यथावत् बने रहेंगे। यहां यह उल्लेख किया जाना उपयुक्त होगा कि पुनरीक्षित व्यवस्था के अनुसार चयन की प्रक्रिया अभी निर्धारित होनी है। प्रक्रिया निश्चित होने के उपरान्त चयन में पर्याप्त समय लगेगा। DSAC/BSACs के पद के लिए निर्धारित अर्हता को देखते हुए वर्तमान में कार्यरत अनुभवी DSAC/BSACs के नामों पर भी पुनरीक्षित व्यवस्था के अर्न्तगत चयन हेतु विचार किया जाएगा।

3– अतः निदेशालय द्वारा जारी किए गए कैलेण्डर के अनुसार वर्तमान में कार्यरत DSAC/BSACs पूर्ववत् सोशल आडिट टीमों को सक्रिय सहयोग प्रदान करते हुए सोशल आडिट कार्य को सम्पन्न कराएं। सोशल आडिट ग्रामसभा की बैठक सम्पन्न होने के बाद BSAC द्वारा बैठक की कार्यवाही ग्राम पंचायत, कार्यक्रम अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी तथा जिलाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाएगी तथा DSAC सोशल आडिट सम्पन्न होने के 05 दिन के अन्दर रिपोर्ट भारत सरकार तथा निदेशालय की बेवसाइट पर अपलोड करेंगे।

4– कृपया अपने जनपद में कार्यरत DSAC/BSACs को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें।

भवदीय,
(शंकर सिंह)
निदेशक।

प्रतिलिपि :–
प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(शंकर सिंह)
निदेशक।